समापन भाषण

दिनांक-27 फरवरी, 2023 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक-23 मार्च, 2023 तक कुल 16 कार्यदिवसों के बाद आज पंचम् झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र अपनी समाप्ति पर पहुँच चुका है। यह बजट सत्र कई मायनों में अ**}r**ीय था। एक लम्बे अंतराल के बाद हम सबने मिलकर सदन के समय का जिस प्रकार सदुपयोग किया है, वह आप सबके सहयोग के बिना सम्भव नहीं था। इस सत्र में कुल 1125 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 283 एवं तारांकित प्रश्नों की संख्या 736 है। इनमें से 51 अल्पसूचित प्रश्न एवं 22 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। विभागों से 930 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए तथा शेष 196 प्रश्नों का उत्तर विभाग के पास लम्बित है। 352 शून्यकाल स्वीकृत हुए। 75 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से 34 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ उत्तरित हुईं तथा 38 लम्बित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है। विनियोग विधेयक सहित कुल 6 विधेयक सभा में पुरःस्थापित हुआ, जिसमें से 5 विधेयक पारित हुआ और एक विधेयक सभा में विचारोपरान्त प्रवर समिति को भेजा गया। 104 निवेदन स्वीकृत हुए, इसे सम्बन्धित विभागों को भेज दिया जाए।

आज इस लम्बे सत्र की थकान हम सब अपने शरीर और मन पर महसूस कर रहे हैं। मेरे सभा सचिवालय के कर्मी जो रात-रात भर जग कर इस सभा को सफल बनाने के लिए परिश्रम करते रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मी जो इन प्रश्नों के उत्तर तथ्यात्मक बनाने के लिए सचिवालय स्तर से लेकर प्रखण्ड स्तर तक पूरी तत्परता से प्रयासरत् रहते हैं। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जिम्मेदार कर्मी, चिकित्सक और प्रेस मीडिया के साथीगण हरेक व्यक्ति ने इस सत्र के दौरान अपना शत्-प्रतिशत योगदान दिया है और आज इस सत्र के अंतिम दिन इस थका देने वाली मेहनत के बीच हम सबके मन में कहीं-न-कहीं इस बात की संतुष्टि है कि हमने इस सत्र को सफलतापूर्वक संचालित कर अपने राज्य और पूरे देश में लोकतंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान तो की ही है, राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें इस सदन में भेजा है, उन उद्देश्यों को पूरा करने की ओर हम सबने एक मजबूत कदम बढ़ाया है।

सत्र की शुरूआत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हुई थी। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि यह सरकार जनसेवा की सरकार है। गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों को उनका हक और अधिकार मिले। इनका सर्वांगीण विकास हो यह राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। झारखण्ड की अस्मिता, संस्कृति, भाषा और सभ्यता को बढ़ावा देते हुए विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। वर्तमान सरकार का यह चौथा बजट है। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा विकासोन्मुखी 1 लाख, 16 हजार, 418 करोड़ रूपये का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया, जिस पर सदन ने अपनी सहमति प्रदान की है।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिस जनसेवा का जिक्र किया है सरकार की योजनाओं में वह परिलक्षित होती है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, आजीविका सशक्तिकरण हुनर अभियान, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो, हो, खेल विकास योजना, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना, मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति योजना, मुख्यमंत्री धोती-साडी-लूंगी योजना सहित अनेकों योजनाएँ सरकार के इस उद्देश्य को परिलक्षित करती है। बजट भाषण की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार के स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है और योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 में जहाँ स्थापना व्यय और योजना व्यय 47:53 थी वहीं वर्ष 2023-24 में 39:61 प्रस्तावित किया गया है। पूंजीगत परिव्यय में हो रही लगातार वृद्धि, विकास को लेकर सरकार के दृढ़ संकल्प को परिलक्षित करती है।

माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल का यह चौथा वर्ष है। इस कालावधि में मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि माननीय

सदस्यगण सदन के माध्यम से देश के अंतिम सम्प्रभू, देश के आम लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखना आसन का उत्तरदायित्व है। इसी कारण सदन के संचालन में माननीय सदस्यगणों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण संरक्षण प्रदान करने का सतत् प्रयास मेरे द्वारा किया गया है।

माननीय सदस्यगण, इन 4 वर्षों की कालावधि में विधायी व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार लाने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। प्रश्नकाल की उपयोगिता और समय को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए इस निमित्त लगातार प्रयास मेरे द्वारा किया जाता रहा है। इसी क्रम में कार्यस्थगन की सूचनाओं को प्रश्नकाल के बाद लिये जाने का नियमन मेरे द्वारा दिया गया।

झारखण्ड विधान सभा के कार्य संचालन नियमावलियों में आवश्यकता के अनुरूप कुछ एक परिवर्तन संसदीय व्यवस्था को और अधिक धारदार बनाने के उद्देश्य से मेरे द्वारा किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के साथ-साथ सदन की गरिमा को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इस बात का भी मेरे द्वारा प्रयास किया गया। कई बार आसन के द्वारा कई कड़े फैसले लोकतंत्र के इस मंदिर के मर्यादा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया।

उत्तर सामग्री को लेकर माननीय सदस्यों का जो क्षोभ है उसे आसन ने भी महसूस किया है और इसको ध्यान में रखते हुए आसन के द्वारा पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के तार्किक और सही उत्तर विभागों के द्वारा सदन के पटल पर रखा जाए, साथ ही सदन के पटल पर माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को गम्भीरता से लागू कराया जाए।

माननीय सदस्यगण, हमारा राज्य एक युवा राज्य है। प्रकृति ने संसाधनों की जो बहुलता हमें प्रदान की है, उसके अनुरूप विकास हम आज तक नहीं कर सके हैं। इस युवा राज्य के युवा नेतृत्व के हौसले बुलन्द हैंऔर निश्चय ही हम इन सपनों को साकार करने में सफल होंगे, जो सपने इस राज्य के निर्माण करने

वाले महापुरूषों ने देखे थे और अंत में मैं विकास के लिए लगातार प्रयासरत् अपनी मातृभूमि के लिए यही कहना चाहूँगा कि-

मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएँ ।

दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएँ... कुछ कर जाएँ ।।

मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, जिसको नदियों ने सींचा है ...

बंजर माटी में पल कर मैंने ... मृत्यु से जीवन खींचा है... ।।

मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ ... शीशे से कब तक तोड़ोगे ...

मिटने वाला मैं नाम नहीं ...

तुम मुझको कब तक रोकोगे ...

तुम मुझको कब तक रोकोगे ... ।।।

इसके साथ ही आने वाले त्योहारों सरहुल, रामनवमी, महावीर जयंती, ईस्टर, ईद-उल-फितर की शुभकामनाओं के साथ सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद ।